वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)
बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष– Other PNDT activities

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी०सी० एवं पी०एन०डी०टी० संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

1. **जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण टीम के द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य** : पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला समुचित प्राधिकार की अध्यक्षता में दो सदस्यों की टीम गठित कर संबंधित जिलों के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना है । साथ ही पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० एक्ट का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने वाले अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जानी है । प्रत्येक जिले के टीम के द्वारा वर्ष में 12 पर्यवेक्षण किया जाना है एवं प्रति पर्यवेक्षण 4000 / – रूपये के दर से 12 पर्यवेक्षण हेतु 48000 / – रूपये प्रति जिला उपलब्ध कराया जा रहा है । अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मासिक कार्ययोजना वर्ष के प्रारंभ में बना ली जायेगी तथा प्रत्येक माह के अंत में अनुश्रवण संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रेषित करना अनिवार्य होगा ।
   इकाई राशि (रू० में)– 4000 / – रूपये प्रति पर्यवेक्षण

2. **जिला स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन** : पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिले में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बी०एच०एम० का लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाना है ।

   जिला स्तरीय कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं०	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रू० में)
1.	Venue and Logistics	3000 रू० प्रति जिला
2.	Lunch	150 / – रू० प्रति प्रतिभागी
3.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	100 / – रू० प्रति प्रतिभागी
4.	मिशलेनियस	2000 / – प्रति जिला

3. **प्रखण्ड स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन** : पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के ए०एन०एम० / एल०एच०भी० / पारामेडिकल कर्मचारी (कुल 50 प्रतिभागी) का लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रशिक्षित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बी०सी०एम० के द्वारा किया जाना है ।

   प्रखण्ड स्तरीय कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं०	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रू० में)
1.	कार्यशाला के दौरान स्नैक्स एवं चाय	20 / – रू० प्रति प्रतिभागी
2.	कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री	10 / – रू० प्रति प्रतिभागी
3.	मिशलेनियस	500 / – प्रति प्रखण्ड

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम–डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर–9470003022